न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर०ए०एस०

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
03/2018	16/01/2018	19/01/2026

1. भंवरसिंह
2. महेन्द्रसिंह
3. नरेन्द्रसिंह
4. नरपतसिंह

   पुत्रान स्वः हनुमानसिंह

5. लोकेन्द्रसिह मृतक जये कायम मुकामान

5/1. किरन पुत्री लोकेन्द्रसिंह

5/2 ज्योति पुत्री लोकेन्द्रसिंह

5/3. उमाकेंवर पत्नी लोकेन्द्रसिंह बेवा

6 गोपालसिंह मृतक

6/1. देवराजसिंह पुत्र गोपालसिंह

6/2. विवेकसिंह पुत्र गोपालसिंह

6/3 जीताकुँवर पत्नी गोपालसिंह

7. भंवरबाई पत्नी हनुमानसिंह जातियान राजपूत निवासीगण खेडली बोरदा तहसील पीपल्दा जिला काटा

प्रार्थीगण

बनाम

1 राजेन्द्रसिंह मृतक पुत्र हनुमानसिंह जर्ये कायम मुकामान

1/1. गोपाल कॅवर पत्नी राजेन्द्रसिंह

1/2. भगवानसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह

1/3. गोविन्दसिंह पुत्र श्री राजेन्द्रसिंह

1/4. लक्ष्मी पुत्री राजेन्द्रसिंह जातियान राजपूत निवासीगण खेडली बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा

2 राज० राज्य जरिये तहसीलदार महोदय तहसील पीपल्दा जिला कोटा

अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री हेमन्त शर्मा एड०।

अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः– श्री रोहित तिवारी एड०।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा धारा 212 आर टी एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ख़ेडली बोरदा पटवार हल्का पीपल्दा खुर्द भू०अ०नि० बिनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा की खतौनी सं० नयी 105 पुरानी 104 के राजस्व रिकार्ड में ख०न० 297 रकबा 0.81 है०, ख०न० 298 रकबा 0.55 है०। कुल किता 2 कुल रकबा 1.36 है० भूमि स्थित है उक्त कृषि आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी के तत्कालीन खातेदार स्व0 राजेन्द्रसिंह द्वारा विगत दिनाक 04.06.1968 को प्रार्थीगण के पिता स्व0 हनुमानसिंह को वादग्रस्त आराजी को विक्रय कर दी थी एवं कब्जा आहरण कर दिया था उक्त दिनांक से प्रार्थीगण के पिता स्व० हनुमानसिंह एवं उनके देहावसान के पश्चात प्रार्थीगण उक्त कृषि आराजी पर कब्जा काशत चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी के तत्कालीन खातेदार स्व० राजेन्द्रसिह द्वारा विगत दिनाक 04.06.1968 को प्रार्थीगण के पिता स्व० हनुमानसिंह को वादग्रस्त आराजी को विक्रय कर दी थी एवं कब्जा आहरण कर दिया था । उक्त दिनांक से प्रार्थीगण के पिता स्व० हनुमानसिंह एवं उनके देहावसान कें पश्चात प्रार्थीगण उक्त कृषि आराजी पर कब्जा काश्त चले आ रहे हैं। कृषि आराजी पर खातेदारी दर्ज नहीं होने से उक्त विक्रय का पंजीयन प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में नहीं हो पाया है और अप्रार्थीगणो के पिता स्व०

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

राजेन्द्रसिंह द्वारा प्रार्थीगण के पिता को खातेदारी प्राप्त होते ही विक्रय का पंजीयन प्रार्थीगण के पक्ष में करवाने का लगातार आश्वासन दिया जाता रहा है। किन्तु खातेदारी प्राप्त होते ही अप्रार्थीगणों के पिता स्व० राजेन्द्रसिंह द्वारा बदनियती पूर्वक विक्रय का पंजीयन नहीं करवाया गया है इसी कारणवश उक्त वादग्रस्त आराजी कब्जे एवं स्वामित्व के अन्तरण के पश्चात भी अप्रार्थीगणो के पिता स्व० राजेन्द्रसिंह के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थीगणो के पिता द्वारा बारम्बार निवेदन करवाने के पश्चात भी अप्रार्थीगणो के पिता द्वारा उक्त विक्रय का पंजीयन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं करवाया गया है। एवं विगत वर्ष 2001 में अप्रार्थीगणो के पिता स्व० हनुमानसिंह के विरूद्ध बेदखली का वाद प्रस्तुत किया जिसमे माननीय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा के न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.09.2006 द्वारा बेदखली का वाद मय डिकी खारिज फरमाया जाकर वाद के प्रतिवादीगण अर्थात वादीगण का कब्जा प्रमाणित माना है। आज दिनांक तक उक्त निर्णय की वर्तमान अप्रार्थीगण द्वारा माने एवं प्रार्थीगणों के कब्जे को विवरिथत सहमति दिये जाने से प्रार्थीगणो को वादग्रस्त आराजी पर स्वामित्व एवं कब्जा स्व प्रमाणित है। प्रार्थीगणो का वादग्रस्त आराजी पर निरन्तर निर्बाध खातेदारान अप्रार्थीगण की सहमति के विरूद्ध कब्जा मुखालफाना (एडवर्सपजेशन) स्व प्रमाणित होने तथा विधितः खातेदारी अधिकारो की प्रसस्ति हेतु कब्जा आवश्यक तत्व होने एवं बिना कब्जा खातेदारी अधिकारों के निर्वासन हो जाने से अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी अधिकारो की प्राप्ति से निर्वासित हो चुके है एवं उनके स्थान पर प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक घोषित होने योग्य है। अप्रार्थीगणो द्वारा कब्जा वापसी के विधिक मर्यादा काल की अवधि अन्दर अप्रार्थीगणो के कब्जे को प्राप्ति के कोई आदेश नहीं करने से अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी पर अपने खातेदारी अधिकार कब्जे के अभाव में निर्वासित हो चुके है एवं प्रार्थीगण उनके स्थान पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। वादग्रस्त आराजी का भू राजस्व इत्यादि प्रार्थीगण द्वारा राज्य शासन को निरन्तर जमा करवाया जाता रहा है जिससे उपरोक्त रूप से भी राज्य शासन द्वारा प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी का काबिजी स्वामी के रूप में विवरिथत सहमति प्रदान की गयी है। प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ है कि अप्रार्थीगण उक्त कृषि आराजी को शीघतम फोती नामान्तकरण स्वीकृत करवा कर अन्यत्र अन्तरण विक्रय करने के प्रयास में लगे हुये है जिन्हें निरूद्धित करने का प्रार्थीगणों को पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तदर्थ यह प्रार्थना पत्र/वाद माननीय न्यायालय की सेवा में प्रस्तुत है। उक्त आशय की जानकारी प्राप्त होने पर प्रार्थीगणो द्वारा अप्रार्थीगणो से सम्पर्क कर वादग्रस्त आराजी को विक्रय की अनुपालना का प्रार्थीगणों के पक्ष में अन्तरित करवाने बाबत निवेदन करने पर अप्रार्थीगण द्वारा साफ इन्कार कर दिया और शीघ्र अन्यत्र अन्तरण विक्रय करने की धमकी विगत दिनाक 10/12/2017 को प्रदान की जिसमे प्रार्थीगणो को अपने साम्पेतिक एवं काश्तकारी अधिकारों की रक्षार्थ वाद प्रस्तुत करना लाजमी हो गया है। प्रार्थीगणो द्वारा राज्य शासन के प्रतिनिधि तहसीलदार पीपल्दा महोदय को तत्यसंबंध मे निवेदन करने पर उनके द्वारा असहमति जाहिर कर विगत दिनांक 15/12/2017 को न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने पर प्रार्थीगणों को वाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु विवश होना पड़ा है। राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार पीपल्दा को बंटवारे हेतु बारम्बार निवेदन किये जाने पर भी उनके द्वारा विगत दिनाक 20.08.2016 को न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये जाने पर प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय की सेवा में प्रस्तुत करना पड रहा है। वाद कारण लगातार उत्पन्न है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है प्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी पर निरन्तर काबिजी कृषक है सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगणो के पक्ष में है यदि प्रार्थीगणों के ही पक्ष में है यदि प्रार्थीगणा के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो एवं अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम का अनुचित अंकन का लाभ उठा कर अन्यत्र अन्तरण रहन विकय आदि में सफल हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होगी जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन कर पाना संभव नही हो पायेगा अतः प्रार्थीगणा के पक्ष में अप्रार्थीगणो के विरूरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित एवं लाजमी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण निम्न आशय का अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण के जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा निषेधित किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को वाद के अन्तिम निर्णय तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रहने देवे एवं वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड को अन्यत्र अन्तरण रहन विक्रय आदि नही करे। प्रार्थीगणो के कब्जे काश्त की कृषि आराजी पर प्रार्थीगणो के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त अथवा उपयोग उपभोग मे अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई बाधा अवरोध स्वयं अथवा जर्ये प्रतिनिधिगण उत्पन्न स्वयं अथवा जर्ये प्रतिनिधिगण नहीं करे। अप्रार्थी क्रम 9 को वाद के अन्तिम निर्णय तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती कायम राने हेतु जये अस्थायी निषेधाज्ञा निषेधित किया जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र श्री हेमन्त शर्मा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री रोहित तिवारी एड0 ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी मृतक राजेन्द्र सिंह हाडा के रिकॉर्डेड खातेदार है। प्रार्थी मूलतः ग्राम कोयला जिला बारां का निवासी है तथा राजस्थान पुलिस में सेवारत है, इस कारण इस आराजी पर स्वयं काश्त नहीं कर पा रहा था। स्व. हनुमान सिंह स्व. राजेन्द्र सिंह के परिचित है, इसलिए मृतक राजेन्द्र सिंह हाडा ने उपरोक्त आराजी को मृतक हनुमान सिंह को बहैसियत पांती सम्भला दिया था तथा पक्षकारान के मध्य यह तथ्य किया गया कि मृतकइ हनुमान सिंह की और से उक्त आराजी पर बहैसियत पांतीदार काश्त करेगा तथा मृतक राजेन्द्र सिंह की और से लगान व पिलाई अदा करता रहेगा । पक्षकारान के मध्य मौखिक तय अनुसार मृतक हनुमान सिंह मृतक राजेन्द्र सिंह के पांतीदार के रूप में काश्त करता रहा तथा समय समय पर स्व. राजेन्द्र सिंह को उसके हिस्से की पसल अदा करता रहा । स्व. हनुमान सिंह ने स्व. राजेन्द्र सिंह को अवैध व अनाधिकृत रूप से फसल देना बंद कर दिया तो स्व. राजेन्द्र सिंह ने इस बाबत पूछताछ की एवं जाति समाज के लोगों से समझाया, लेकिन स्व. हनुमान सिंह नही माना एवं उसने असत्य एवं निराधार तथ्यों पर एक वाद 88,89 आर0टी0एक्ट माननीय न्यायालय में पेशा किया, जिसमें स्व. हनुमान सिंह ने कथन किया कि उसने उक्त विवादित आराजी को 04.06.1968 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया, जबकि स्व. राजेन्द्र सिंह ने उपरोक्त आराजी को स्व. हनुमान सिंह को कभी भी बेचने का करार नहीं किया, ना खरीददार के रूप में कब्जा संभलाया, बल्कि जो तहरीर उक्त वाद में स्व. हनुमान सिंह ने पेश की थी, वह कूटरचित एवं फर्जी बनाकर पेश की थी, क्योंकि स्व. राजेन्द्र सिंह पुलिस विभाग में नौकरी करते थे, जो तहरीर पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किये थे, क्योंकि इस प्रकार के हस्ताक्षर स्व. राजेन्द्र सिंह ने अपने जीवनकाल में किसी भी दस्तावेज पर नहीं किये। स्व. हनुमान सिंह ने उक्त आराजी पर अवैध व अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है और ना अपना कब्जा हटा रहा है। प्रार्थी ने जो प्रार्थना पत्र पेश किया है, उसमें अप्रार्थीगण का निवास स्थान का पता गलत लिखाया है। प्रार्थीगण ने वह पता लिखवाया है, जो उनका स्वयं का पता है, ताकि उक्त प्रकरण के तहत अप्रार्थीगण को किसी नोटिस की तामील ना हो सके, इस प्रकार प्रार्थीगण के मन में प्रारम्भ ते ही बदूयांति थी कि अप्रार्थीगण को प्रकरण की तामील ना हो सके, इसलिए उन्होने आर्थीगण का गलत पता लिखवाया। जबकि प्रार्थीगण, आर्थी क्रम–3 गोविन्द सिंह हाड़ा जो कि एक अधिवक्ता है एवं कोटा न्यायालय में वकालत करता है, उससे कई बार राजीनामा बाबत मिल चुके है एवं आप्रार्थीगण के मकान निवास स्थान मकान नं. 6 टी 12 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा पर भी कई बार राजीनामा बाबत आ चुके है। इस प्रकार से प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के वास्तविक निवास का पता ज्ञात होने पर भी माननीय न्यायालय के तथ्य छुपाये व गलत पता अंकित किया, जिसका न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 02–09–2022 में भी हवाला दिया जा चुका है। मृतक राजेन्द्र सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके कायम मुकाम क्रम–1,2,3 व 4 ने उक्त विवादित कृषि आराजी पर इंतकाल खोले जाने हेतु तहसीलदार पीपल्दा को आवेदन प्रस्तुत किया गया

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

था, जिस पर तहसील पीपल्दा कानूनगो श्यामसुन्दर पोरवाल व पटवारी अमित मोदी ने अप्रार्थीगण को 3–4/तक टालमटोल करते रहे व प्रार्थीगण से मिलीभगत कर उक्त प्रकरण पेश करवाकर दिनांक 16–01–2018 को ही उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया व उसी दिन बिना अप्रार्थीगण को नोटिस तामील हुए ही स्थगन आदेश पारित करवा दिया गया, जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण को होने पर अप्रार्थीगण ने दिनांक 29–8–18 को कानूनगो व पटवारी के विरुद्ध 166 आईपीसी के तहत आई.जी. कोटा को परिवाद पेश किया था व दिनांक 14–8–2018 व 10–5–18 को कोटा में कलेक्टर साहब के यहां भी लिखित में शिकायत पेश की थी। उक्त समस्त दस्तावेजात की फोटो प्रतियां संलग्न की जा रही है। उक्त विवादित कृषि आराजी पर प्रार्थीगण अवैध व अनाधिकृत रूप से कब्जा किये हुए व स्व राजेन्द्र सिंह ने उक्त आराजी कभी भी स्व हनुमान सिंह को बेचान नहीं की है। एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्रदान करने का राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में प्रावधान नहीं है। इसकी कई आथोरिटीज है, जो माननीय न्यायालय के सक्षम पेश कर दी जायेगी ।

1. आरआरटी–2022 पेज नं 248 सलमा बनाम रूस्तम खां
2. आरआरटी–2019 पेज न. 979 भूरिया बनाम शंकरिया
3. आरआरटी–2018 पेज नं 886 भूरीदेवी बनाम गोपाल

अनरजिस्टर्ड दस्तोवज के आधार पर प्रार्थी ने वाद पेश किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त विवादित आराजी पर अवैध एवं अनाधिकृत रूप से कब्जा बनाये रखने की दुर्भावना से उक्त प्रकरण झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो कि चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस पेश कर कथन किया कि यह कि ग्राम खेडली बॉरदा पटवार हल्का पीपल्दा खुर्द भू.अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र विनायका तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० मे स्थित कृषि भूमि खसरा न. 297 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा न. 298 रकबा 0.55 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.36 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थीगण बतौर कृषक काबिज काश्त है। विवादित भूमि प्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता श्री हनुमानसिंह द्वारा तत्कालीन खातेदार राजेन्द्र सिंह से खरीदकर दिनांक 04/06/1968 मे कब्जा प्राप्त किया था तब से अनवरत रूप से काबिज काश्त है प्रार्थीगण स्वर्गीय पिता श्री हनुमानसिंह के जीवनकाल से आज तक कृषक के रूप मे शांतिपूर्ण कब्जे काश्त मे है।

प्रथम दृष्टया केसः–

1– यह कि प्रार्थी पक्ष का केस प्रथम दृष्टया केस है क्योकि प्रार्थीगण वैध रूप से विवादित भूमि पर लम्बे समय से शांतिपूर्ण कब्जे काश्त मे है सरकारी राशि राजस्व लगान भी प्रार्थीगण के पिता द्वारा उनके जीवनकाल मे जमा किया गया है। तथा प्रार्थीगण के पिता का स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण जमा करवाते आ रहे है प्रार्थीगण द्वारा कृषक के दायित्वो का लगातार निर्वहन किया जा रहा है अप्रार्थीगण के पिता विवादित भूमि पर कभी भी काबिज काश्त नही रहे अप्रार्थीगण विवादित भूमि पर कभी भी काबिज नही रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजो मे यह भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि अप्रार्थीगण द्वारा विवादित भूमि में अपना नाम नामान्तकरण प्रशासन पर दबाव डालकर खुलवाया गया है कब्जे के अभाव में अप्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टया केस

सुविधा का सन्तुलनः–

सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से अप्रार्थीगणो को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तथा यदि प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो अप्रार्थीगण अपने प्रभाव व ताकत के बल पर विवादित भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पडेगी। प्रार्थीगण अपने वैध अधिकारो से वंचित हो जायेंगे।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

अपूरणीय क्षति
यह कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के पिता का सुव्यवस्थित लम्बा कब्जा था। उनके स्वर्गवास के बाद प्रार्थीगण विवादित भूमि पर अनवरत रूप से काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण के पिता स्व. श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थीगण के पिता श्री हनुमानसिंह के विरूद्ध सन 2001 मे विवादित भूमि के बेदखली हेतु न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी इटावा के समक्ष वाद पेश किया था। उक्त वाद उपखण्ड अधिकारी महोदय, इटावा द्वारा दिनांक 28/09/2006 को मैरिट पर निर्णित करते हुए खारिज फरमा दिया है।

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी इटावा के निर्णय डिकी दिनांक 28/09/2006 की कोई अपील अप्रार्थीगण द्वारा नही की गई है। उक्त न्यायालय का निर्णय अंतिम रूप से प्रभावशील है। किन्तु यदि प्रार्थीगण के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई। टी. आई खारिज फरमा दी गई तो अप्रार्थीगण अपने प्रभाव व ताकत के बल पर प्रार्थीगण को विवादित भूमि से बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को फालतू की मुकदमे बाजी में फंसकर बर्बाद होना पडेगा। प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति मुद्रा मे नही हो सकेगी। इस कारण न्यायहित मे प्रार्थीगण के वैध कब्जे की सुरक्षा हेतु प्रार्थीगण के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि प्रस्तुत तमाम तथ्यो, कथनो एवं दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला मूलवाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने की कृपा करे।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में लिखा है कि दिनांक 4–6–1968 को तत्कालीन खातेदार स्व. राजेन्द्र सिंह द्वारा स्व हनुमान सिंह को वादग्रस्त आराजी को विक्रय कर दी थी, बिल्कुल झूठा एवं मनगढ़ंत कथन किया गया है, जबकि वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी मृतक राजेन्द्र सिंह हाडा रेकार्डेड खातेदार है व मूलतः ग्राम कोयला जिला बारां के निवासी है व राजस्थान पुलिस में सेवारत थे, इस कारण उक्त आराजी पर स्वंय काश्त नहीं कर पा रहे थे। स्व हनुमान सिंह, स्व. राजेन्द्र सिंह जी के परिचित थे, इसलिए मृतक राजेन्द्र सिंह हाडा ने उपरोक्त अराजी को मृतक हनुमान सिंह को बहैसियत पांती समभला दिया था तथा पक्षकारान के मध्य यह तथ्य किया गया कि मृतक हनुमान सिंह की ओर से उक्त आराजी पर बहैसियत पांतीदार काश्त करेगा तथा मृतक राजेन्द्र सिंह की और से लगान व पिलाई अदा करता रहेगा। प्रार्थीगण ने जो बेचान की तहरीर माननीय न्यायालय में पेश की है, वह फर्जी है, क्योंकि स्व राजेन्द्र सिंह जी के जो फर्जी हस्ताक्षर किये गये है, इस प्रकार के हस्ताक्षर उनके जीवनकाल में किसी भी दस्तावेज पर नहीं हो रहे है। प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण द्वारा कहा गया है कि स्व राजेन्द्र सिंह जी द्वारा आश्वासन विक्रय का पंजीकरण का दिया गया व बाद में बदनियती आ जाने के कारण पंजीकरण नहीं करवाया था, जो कि बिल्कुल झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्य है, वास्तविक्ता यह है कि यदि ऐसा तो प्रार्थीगण स्व–राजेन्द्र सिंह के विरूद्ध उनके जीवनकाल में कोई कानूनी कार्यवाही की जाती, लेकिन उनके द्वारा ऐसी कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है, इसते स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा झूठे एवं मनगढ़ंत तथ्य आलेखित किये गये है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि वर्षे–2001 में स्व राजेन्द्र सिंह जी ने अप्रार्थीगण के पिता स्व–हनुमान सिंह जी के विरूद्ध बेदखली का वाद प्रस्तुत किया था, जो 8–09–2006 को मय डिक्री खारिज हो गया था, इसका कारण यह था कि स्व राजेन्द्र सिंह जी हार्ट पेशेन्ट थे, जो वर्ष–2003 से हार्ट अटेक से मृत्यु कारित हो गई थी, इस कारण बेदखली के वाद की जानकारी स्व राजेन्द्र सिंह के परिवारजन को नही थी, इस कारण उक्त वाद में राजेन्द्र सिंह जी के परिवारजन की उपस्थिति जानकारी के अभाव में नहीं रही। प्रार्थीगण ने लिखा है कि अप्रार्थीगण कृषि आराजी को फोती नामान्तकरण स्वीकृत करवाकर अन्यत्र अन्तरण विक्रय करने को प्रयास में लगे हुए है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, अप्रार्थीगण उक्त कृषि आराजी को किसी भी प्रकार से अन्तरण विक्रय करने पर आमादा नहीं है, यदि बेचने का प्रश्न है तो स्व राजेन्द्र सिंह जी अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजी को बेच देते, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया है। वास्तविक तथ्य इस

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

प्रकार है कि स्व राजेन्द्र सिंह जी द्वारा स्व–हनुमान सिंह जी को उक्त विवादित आराजी पांतीदार के रूप में काश्त करने के लिये दी गई थी, क्योंकि स्व राजेन्द्र सिंह जी पुलिस विभाग में कार्यरत होने से विभिन्न स्थानों पर नियुक्ति होती थी, इस कारण उक्त आराजी की सार सम्भाल नही कर पाते थे। स्व हनुमान सिंह जी ने स्व. राजेन्द्र सिंह को अवैध व अनाधिकृत रूप से फसल देना बंद कर दिया तो स्व–राजेन्द्र सिंह ने इस बाबत पूछताछ की एवं जाति समाज के लोगों से समझाया, लेकिन स्व. हनुमान सिंह नहीं माना एवं उसने असत्य एवं निराधार तथ्यों पर एक वाद 88,89 आर टी एक्ट का माननीय न्यायालय में पेश किया, जिसमें स्व हनुमान सिंह द्वारा कूटरचित फर्जी हस्ताक्षर वाली तहरीर पेश की थी, जबकि उक्त आराजी कभी बेचान नही की गई, मात्र पांती करने के लिये जमीन दी थी, जो कि प्रार्थीगण जमीन हडपने की नियत से अवैध व अनाधिकृत्य कब्जा किये हुए है। उसमें प्रार्थीगण द्वारा आार्थीगण का पता ग्राम केली बोरदा तहसील पीपल्दा लिए लिखाया गया है, जो कि प्रार्थीगण का पता है। इस प्रकार से उक्त प्रार्थना पत्र पेश करते समय ही प्रार्थीगण के मन में बदयाति थी कि अप्रार्थीगण को उक्त वाद की जानकारी न हो सके व नोटिस तामील न हो सके, इसलिए प्रार्थीगण का पता ही अप्रार्थीगण का पता लिख दिया, जबकि उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा लिखा गया है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण से मिले थे, जिसमें विक्रय अंतरण हेतु मना किया गया था, इस प्रकार से अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की जानकारी थी, क्योंकि प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम–3 गोविन्द सिंह हाडा अधिवक्ता कोटा न्यायालय में वकालत करता है और उससे मिल चुके है, अपना कार्ड दे चुके है, जिसमें निवास स्थान 6 टी 12, महावीर नगर विस्तार योजना कोटा लिखा हुआ है व अप्रार्थीगण निवास स्थान पर प्रार्थीगण के कई बार आ चुके है। इस प्रकार आप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के कोटा के पते की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में अप्रार्थीगण का गलत पता अंकित किया है, ताकि प्रार्थीगण को अनुचित लाभ प्राप्त हो सके एवं प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की जमीन को हडप सके। मृतक राजेन्द्र सिंह की मृत्यु के उपरांत उनके कायममुकाम क्रम–1, 2, 3 व 4 ने उक्त विवादित कृषि आराजी पर इंतकाल खोले जाने हेतु तहसीलदार पीपल्दा को आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर तहसील पीपल्दा कानूनगों श्याम सुन्दर पोरवाल व पटवारी अमित मोदी ने अप्रार्थीगण को 3–4 माह तक टालमटोल करते रहे व प्रार्थीगण से मिलीभगत कर उक्त प्रकरण पेश करवाकर दिनांक– 16–01–2018 को ही उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया व उसी दिन बिना अप्रार्थीगण को नोटिस तामील हुए ही स्थगन आदेश पारित फरमा दिया गया। उक्त विवादित कृष्ज्ञि आराजी पर प्रार्थीगण अवैध व अनाधिकृत रूप से कब्जा किये हुए है व स्व. राजेन्द्र सिंह ने उक्त आराजी कभी भी स्व हनुमान सिंह को बेचान नहीं की है। एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी प्रदान करने का राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में प्रावधान नहीं है। इसकी कई ऑथोरिटीज माननीय न्यायालय में पेश की जा चुकी है, जो कि शामिल पत्रावली है। अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीगण ने वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है। यदि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त विवादित आराजी का इंतकाल अप्रार्थीगण के पक्ष में खोले जाने का आदेश पारित किया जाता है तो माननीय न्यायालय द्वारा आदेश में लगाई गई प्रत्येक शर्त का पालन करने को तत्पर एवं तैयार है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र हैवी से हैवी कोस्ट पर खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष बहस पर गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। मुताबिख राजस्व रिकॉर्ड ग्राम खेडली बोरदा, भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पीपल्दा कलां, तहसील पीपल्दा, स्थित ख0नं0 297 रकबा 0.81है0 व ख0नं0 298 रकबा 0.55है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.36है पर राजेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान सिंह रिकोर्डेड खातेदार अंकित है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। रिकोर्डेड खातेदार के विरूद्ध अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र दर्ज करने के दिनांक 16.01.2018 से ही न्यायालय द्वारा जारी की गई है। प्रार्थी या अप्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा, स्वामित्व या अन्य अनुतोष मूलवाद पत्र में

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)

साक्ष्य लेख बद्ध कर किया जाना है। जब अप्रार्थी ने स्वयं जवाब प्रार्थना पत्र के मद सं0 4 में स्वयं माना है कि ''स्व0 हनुमान सिंह ने उक्त आराजी पर अवैध व अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है'' तो इससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होना संभाव्य नहीं है क्योंकि यदि विवादित भूमि का अंतरण किसी माध्यम से करने का प्रयास भी किया जायेगा तो कब्जा हस्तांतरण के बिन्दु पर विवाद होने से Transaction पूर्ण नहीं होगा। जब विवादित आराजी प्रार्थी के कब्जे में है तो `एसी स्थित में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से प्रार्थी की तुलना में अप्रार्थी को अनावश्यक असुविधा कारित होगी। इस प्रकार सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीन मुख्य स्तम्भ प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति होने की संभावना व सुविधा सन्तुलन तीनों प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं है। अतः न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.01.2018 इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
इटावा जिला कोटा (राज.)